नमामि गंगे

भारतीय वन्यजीव संस्थान
Wildlife Institute of India

जैव विविधता एवं गंगा संरक्षण परियोजना

ग्राम स्तरीय सूक्ष्म कार्ययोजना
ग्राम -दिनकरपुर
विकासखंड - सोहावल
जनपद - अयोध्या
राज्य -उत्तरप्रदेश

सम्पादन

डॉ० रूचि बडोला
डॉ० एस० ए० हुसैन

लेखन एवं रूपरेखा

हेमलता खण्डूड़ी

डाटा संकलन

प्रियंका, हेमा पंत, अभिमन्यु एवं गंगा
प्रहरी टीम, अयोध्या

टाइप सैटिंग

मानसी बिजल्वाण

डिजाइन

शताक्षि शर्मा

फोटो क्रेडिट

एन०एम०सी०जी० टीम

सम्पादकीय पता

भारतीय वन्यजीव संस्थान
पोस्ट बॉक्स 18, चन्द्रबनी
देहरादून – 248001
उत्तराखंड, भारत
टेलिफोन संख्या – 0135 2640114. 15ए 2646100
फैक्स नं0 – 0135.2640117
ई –मेल – ruchi@wii.gov.in

वर्ष – 2023

सूक्ष्म नियोजन

ग्राम पंचायत	दिनकरपुर
विकासखंड	सोहावल
जनपद	अयोध्या
राज्य	उत्तर प्रदेश
कुल बजट	20,00,000.00
क्रियान्वयन अवधि	5 वर्ष

भारतीय वन्यजीव संस्थान
Wildlife Institute of India

2023

विषय - वस्तु

परिचय

सहमति पत्र

भाग - 1 प्रस्तावना	01
1.1 ग्राम स्तरीय सूक्ष्म जैवविविधता योजना	01
भाग - 2 ग्राम पंचायत का विवरण	03
2.1 ग्राम पंचायत का संक्षिप्त विवरण	03
2.2 ग्राम पंचायत चयन के मानक	03
2.3 ग्राम पंचायत चयन की प्रक्रिया	03
2.4 सामाजिक एवं जनसंख्यात्मक विवरण	03
2.5 आर्थिक स्थिति एवं व्यवसाय	04
2.6 ग्राम पंचायत में पेयजल एवं स्वच्छता की स्थिति	04
2.7 कृषि एवं पशुपालन	04
2.8 वर्षा व अन्य जल संसाधनों का विवरण	04
2.9 ग्राम पंचायत तक पहुँच एवं संचार के साधनों की उपलब्धता	04
2.10 ग्राम पंचायत व उसके आसपास वन संसाधन व जैव विविधता का विवरण	05
2.11 समुदाय की नदी पर निर्भरता	05
2.12 ग्राम पंचायत में चल रहे पूर्व में संचालित जैव विविधता कार्यक्रम की जानकारी	05
2.13 ग्राम पंचायत में कार्य कर रही विभिन्न संस्थाओं/विभागों/कार्यक्रमों का विवरण	05
भाग - 3 कार्यक्रम के मुख्य हितधारक (Stakeholders)	06
3.1 कार्यक्रम के मुख्य हितधारक	06
भाग - 4 समस्या विश्लेषण	08
4.1 समस्या विश्लेषण	08
भाग - 5 नियोजन का उद्देश्य	10
भाग - 6 प्रस्तावित गतिविधियाँ, रणनीति तथा समन्वयन	13
6.1 सामुदायिक जागरूकता संबंधी गतिविधियाँ	13
6.2 समुदाय आधारित संस्थायें	13
6.3 आजीविका एवं कौशल विकास संबंधी गतिविधियाँ	13
6.4 स्वच्छता संबंधी गतिविधियाँ	14

विषय - वस्तु

6.5 वैकल्पिक ऊर्जा संबंधी गतिविधियाँ	14
6.6 कृषि विकास संबंधी गतिविधियाँ	14
6.7 पशुपालन विकास संबंधी गतिविधियाँ	14
6.8 जैवविविधता संरक्षण संबंधी गतिविधियां-	15
6.9 रेखीय विभागों का विवरण एवं समन्वयन	15
भाग - 7 व्यवहार्यता (feasibility) विश्लेषण	17
7.1 सहमत गतिविधियों का व्यवहार्यता (feasibility) विश्लेषण	17
7.2 वित्तीय आवश्यकता एवं बजट	18
7.3 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	20
7.4 पारस्परिक संकल्प एवं उत्तरदायित्व	20
7.5 विवाद का निपटारा	20
7.6 रिकार्ड्स का रखरखाव	20
7.7 सफलता के सूचक	21
अनुलग्नक	22
1 समझौता ज्ञापन	22
2 सामाजिक मानचित्र	23
3 सूक्ष्म नियोजन हेतु बैठक में उपस्थित समुदाय की सूची	24
4 फोटो गैलरी	25

Dinkarpur
Image Landsat / Copernicus

मानचित्र

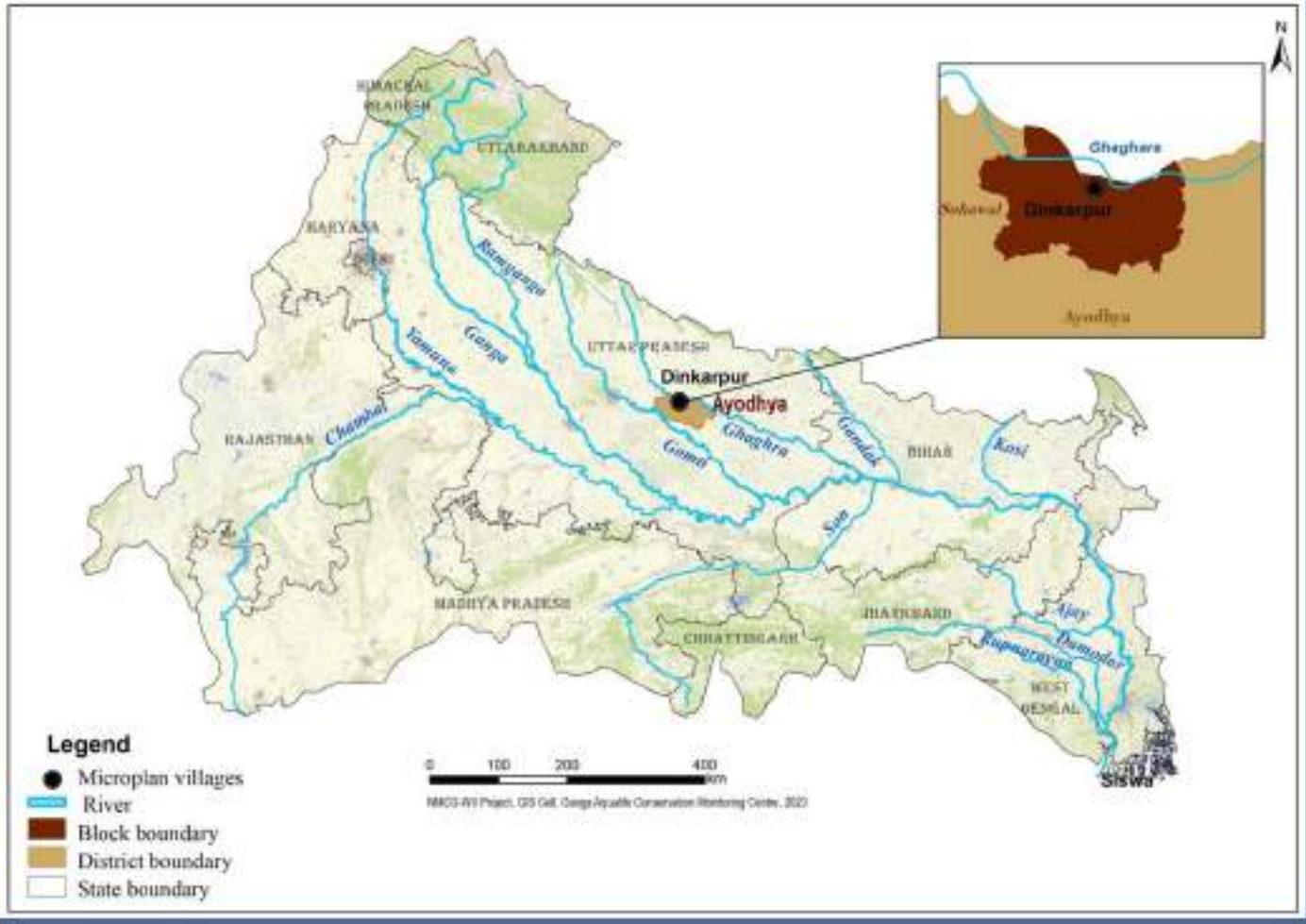

दिनकरपुर

परिचय

भारत सरकार ने गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त करने और नदी को पुनर्जीवित करने के लिये नमामि गंगे नामक एक एकीकृत गंगा संरक्षण परियोजना का आरंभ किया है। परियोजना के द्वितीय चरण में गंगा नदी की सहायक नदियों को भी कार्यक्रम में शामिल किया गया है। परियोजना के अंतर्गत प्रारंभिक स्तर पर नदी की सफाई के तहत तरल कचरे की समस्या को हल करने हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों में जल व मल के निस्तारण हेतु शौचालयों का निर्माण, शवदाह गृहों का उच्चीकरण, आधुनिकीकरण एवं निर्माण, घाटों का निर्माण और मरम्मत आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त जैव विविधता संरक्षण, वनीकरण व पानी की गुणवत्ता की निगरानी के लिये भी कार्य किया जाना है। नमामि गंगे कार्यक्रम के संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का गठन किया गया है।

भारत सरकार द्वारा गंगा नदी की स्वच्छता एवं संरक्षण हेतु चलाये जा रहे नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत जलीय जीवों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भारतीय वन्यजीव संस्थान के साथ मिलकर कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि गंगा नदी की विभिन्न प्रजातियां जो वर्तमान में संकटग्रस्त हैं या निकट भविष्य में जिनके लुप्त होने की संभावना है, इन प्रजातियों की विविधता के लिये उत्पन्न होने वाले खतरे में कमी आये। परियोजना के प्रथम चरण में गंगा नदी की मुख्यधारा में कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया। जिसमें जैवविविधता संरक्षण हेतु **6** घटकों पर कार्य किया गया। कार्यक्रम के अर्न्तगत गंगा जलीय जीव संरक्षण एवं अनुश्रवण केन्द्र की स्थापना, गंगा नदी के जलीय जीवों के पुनर्रूद्धार हेतु योजना का निर्माण, वन विभाग एवं अन्य हितधारकों का क्षमता विकास, जलीय प्रजातियों हेतु बचाव एवं पुनर्वास केन्द्र की स्थापना, गंगा नदी की प्रजातियों के पुनर्वास हेतु समुदाय आधारित संरक्षण कार्यक्रम एवं गंगा नदी की जैवविविधता के संरक्षण हेतु नेचर इंटरप्रेटेशन और शिक्षा आदि कार्यक्रम प्रमुख हैं। परियोजना के द्वितीय चरण में कार्यक्रम का क्रियान्वयन गंगा की सहायक नदियों में किया जा रहा है।

सूक्ष्म नियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें स्थानीय समुदाय अपनी आवश्यकता के अनुसार विकास की योजना का निर्माण करता है। सूक्ष्म नियोजन में समुदाय के सभी वर्गों की भागीदारी होना इसकी प्रमुख विशेषता है। नियोजन की प्रक्रिया को विकेन्द्रित **(Decentralised),** सतत **(Sustainable)** एवं सहभागी **(Participatory)** बनाने का यह एक महत्वपूर्ण भाग है। जिसमें नियोजन की प्रक्रिया ऊपर से नीचे **(Top to bottom)** न होकर नीचे से ऊपर **(Bottom to top)** की ओर होती है। इस प्रक्रिया में समुदाय के ज्ञान व अनुभवों को आधार मानकर कई सहभागी आकलन की गतिविधियों के माध्यम से जानकारी एकत्र की जाती है।

आप कमर का
नजर में हैं

सहमति पत्र

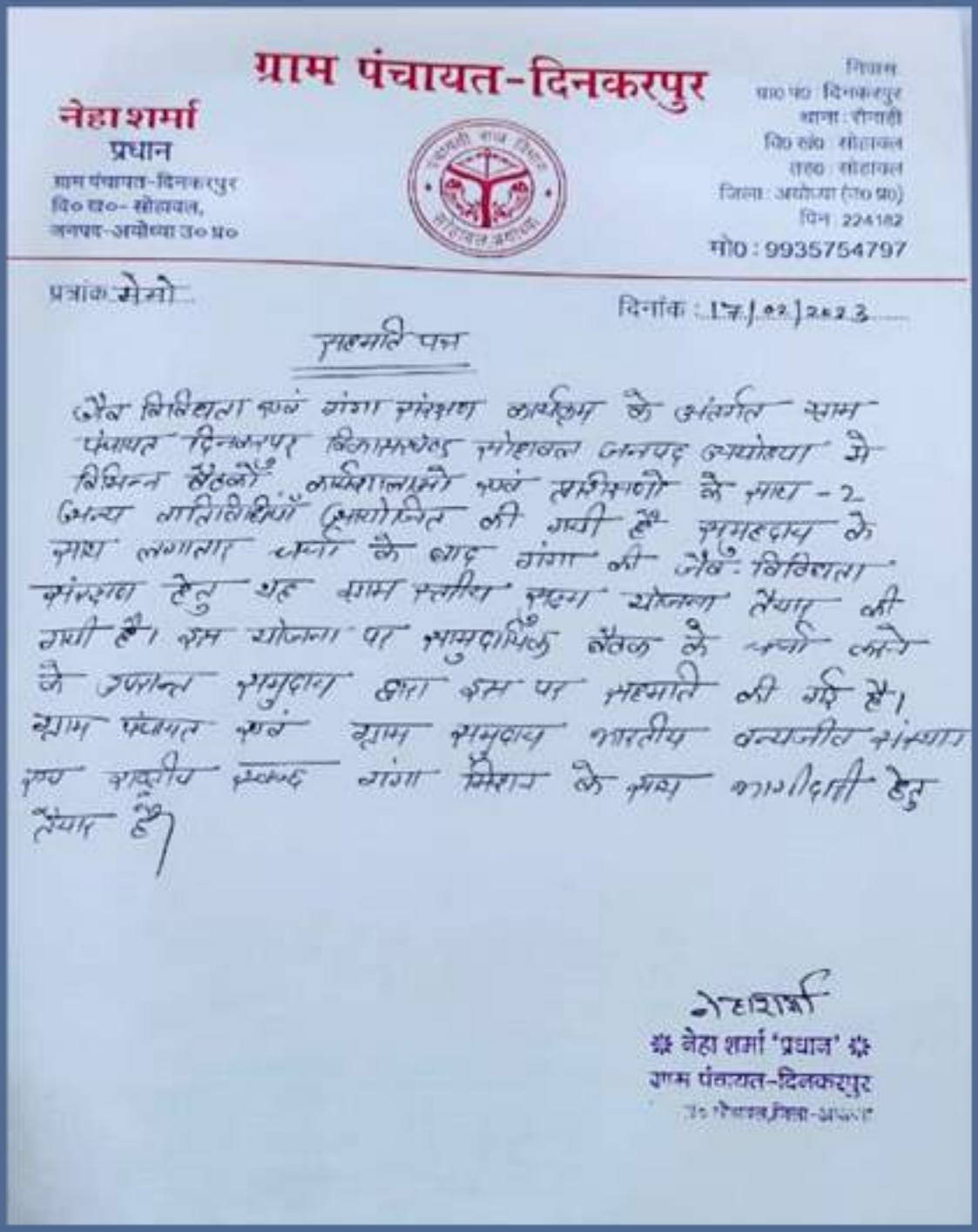

ग्राम पंचायत-दिनकरपुर

नेहा शर्मा
प्रधान
ग्राम पंचायत-दिनकरपुर
वि० ख०- सोहावल,
जनपद-अयोध्या उ० प्र०

निवास
ग्रा० पं० दिनकरपुर
थाना : रौनाही
वि० खं० सोहावल
तह० सोहावल
जिला : अयोध्या (उ० प्र०)
पिन 224182
मो0 : 9935754797

प्रत्रांक मेमो

दिनांक : 17/02/2023

सहमति पत्र

जैव विविधता एवं गंगा संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम पंचायत दिनकरपुर विकासखण्ड सोहावल जनपद अयोध्या मे विभिन्न बैठकों, कार्यशालाओं एवं प्रशिक्षणो के साथ-2 अन्य गतिविधियाँ आयोजित की गयी है समुदाय के साथ लगातार चर्चा के बाद गंगा की जैव विविधता संरक्षण हेतु यह ग्राम स्तरीय कार्य योजना तैयार की गयी है। इस योजना पर सामुदायिक बैठक के चर्चा करने के उपरान्त समुदाय द्वारा इस पर सहमति दी गई है। ग्राम पंचायत एवं ग्राम समुदाय भारतीय वन्यजीव संस्थान एवं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के साथ भागीदारी हेतु तैयार है।

नेहा शर्मा
नेहा शर्मा 'प्रधान'
ग्राम पंचायत-दिनकरपुर
वि० ख० सोहावल, जिला-अयोध्या

दिनकरपुर

भाग – 1 प्रस्तावना

1.1 ग्राम स्तरीय सूक्ष्म जैवविविधता योजना

ग्राम पंचायत	दिनकरपुर
अवस्थिति	अक्षांश 26’46’24 एवं देशान्तर 81’56’9”
विकासखंड	सोहावल
जिला	अयोध्या
राज्य	उत्तरप्रदेश
मुख्यालय सोहावल से दूरी	3.2 कि०मी०
तहसील मुख्यालय सोहावल से दूरी	4.2 कि०मी०
घाघरा नदी से दूरी	500 मी०
कुल जनसंख्या	1590
कुल परिवार	300
मुख्य जातियां	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य, पिछड़ा वर्ग
मुख्य समस्याएं	• जैव विविधता संरक्षण संबंधी जागरूकता की कमी, • कृषि में रासायनिक खादों का प्रयोग, • धार्मिक व पूजा सामग्री को नदी में प्रवाहित करना, • कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था न होना, • स्थानीय संस्थाओं का सुदृढ़ न होना
प्रस्तावित गतिविधियाँ	• समुदायिक जागरूकता गतिविधियाँ • समुदाय आधारित संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण • आजीविका व कौशल विकास गतिविधियाँ • स्वच्छता संबंधी गतिविधियाँ • जैवविविधता संरक्षण संबंधी गतिविधियाँ • कृषि विकास संबंधी गतिविधियाँ • पशुपालन संबंधी गतिविधियाँ

भाग -2 ग्राम पंचायत का विवरण

2.1 ग्राम पंचायत का संक्षिप्त विवरण-

ग्राम पंचायत दिनकरपुर घाघरा नदी के तट पर स्थित है नदी तट से इसकी दूरी 500 मी० है। यह उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या जिले के सोहावल विकासखंड में स्थित है। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 23 कि०मी० एवं राजधानी दिल्ली से 531 कि०मी० है। दिनकरपुर का पिनकोड 224182 है और प्रधान डाकघर दिनकरपुर में ही स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार दिनकरपुर गाँव का जनगणना कोड 166220 है। यह समुद्र तल से 107 मीटर की ऊँचाई पर बसा है। ग्राम पंचायत दिनकरपुर की कुल जनसंख्या 1590 है। यहाँ पर लगभग 300 परिवार निवास करते हैं। जिसमें से 70 परिवार अनुसूचित जाति, 50 परिवार सामान्य जाति और 180 परिवार पिछड़ी जाति के हैं। मान्यता है कि ग्राम दिनकरपुर का नाम सिद्धपुरूष दिनकर बाबा के नाम पर पड़ा है। जिनका मंदिर आज भी गाँव में स्थित है।

2.2 ग्राम पंचायत चयन के मानक -

ग्राम पंचायत घाघरा नदी के तट पर है। नदी के इस भाग में डॉल्फिन, घड़ियाल, कछुआ तथा मछलियों की प्रजाति पाई जाती है। गाँव में लोगों की घाघरा नदी पर निर्भरता आस्था के साथ-साथ, मुख्य रूप से कृषि के लिये है। ग्रामीण लोगों को वहाँ पायी जाने वाली जलीय जीवों की प्रजाति व उसके महत्व के विषय में अधिक जानकारी नहीं है। इसका मुख्य कारण जागरूकता की कमी है। घाघरा नदी के तट पर स्थित होने के कारण एवं यहाँ पर जलीय जैवविविधता की उपस्थिति होने के कारण ग्राम पंचायत को कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है।

2.3 ग्राम पंचायत चयन की प्रक्रिया -

कार्यक्रम के अंतर्गत नदी किनारे के गांवों की सूची प्राप्त करने के लिये खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय से नदी किनारे स्थित गाँवों की सूची प्राप्त की गई। इन गांवों का भौतिक भ्रमण करने के पश्चात घाघरा नदी के किनारे स्थित इस पंचायत का चयन कार्यक्रम हेतु किया गया। उपरोक्त ग्राम पंचायत में जनप्रतिनिधियों से सम्पर्क किया गया एवं ग्राम समुदाय के साथ बैठकें कर ग्राम पंचायत की स्थिति को जाना गया व ग्रामवासियों को परियोजना की जानकारी दी गयी व कार्यक्रम के उद्देश्यों को बताया गया। समुदाय तथा ग्राम प्रधान की सहमति के बाद गांव को कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित किया गया।

2.4 सामाजिक एवं जनसंख्यात्मक विवरण -

ग्राम पंचायत दिनकरपुर उत्तरप्रदेश राज्य के अयोध्या जनपद में स्थित है। यहाँ पर मुख्य रूप से हिन्दी भाषा बोली जाती है। गांव का नाम एक सिद्धपुरूष दिनकर बाबा के नाम पर पड़ा है जिनका मंदिर गांव में स्थित है। जिसमें विभिन्न सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। गाँव में कुल व 300 परिवार रहत हैं जिनमें से 50 परिवार सामान्य जाति, 70 परिवार अनुसूचित जाति,एवं 180 परिवार अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं। कुल जनसंख्या में से शिक्षित पुरूषों की संख्या 300 तथा शिक्षित स्त्रियों की संख्या 250 है।

2.5 आर्थिक स्थिति एवं व्यवसाय -

दिनकरपुर में रहने वाले परिवारों की आर्थिक स्थिति निम्न मध्यमवर्गीय है। लगभग **190** परिवार कृषि के साथ ही पशुपालन का कार्य करते हैं। कृषक परिवारों में से **50** परिवार नदी तट पर भी कृषि करते हैं। ग्राम पंचायत में नौकरीपेशा व्यक्तियों की संख्या **35** है, **25** परिवार स्वरोजगार पर आश्रित हैं, **50** परिवार कृषि मजदूर है, तथा कुछ परिवार अन्य कार्यों के साथ ही मजदूरी, नौकायान, धार्मिक कार्य आदि से अपनी आजीविका चलाते हैं।

2.6 ग्राम पंचायत में पेयजल एवं स्वच्छता की स्थिति -

दिनकरपुर में स्वच्छ पेयजल हेतु **30** ट्यूबवेल और **300** हैंडपम्प लगे हैं। पूर्व में यहाँ पर **10** कुंए भी थे जो अब सूख चुके हैं और काम नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग नदी से भी पेयजल हेतु पानी लाते हैं। यहाँ पर सभी परिवारों को पेयजल की उपलब्धता है। गाँव में कुल शौचालयों की संख्या **250** है, शौचालय विहीन परिवारों की संख्या **50** है, जिनके लिये गांव में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। कुल निर्मित शौचालयों में से **200** शौचालय स्वच्छ भारत मिशन व स्वयं के संसाधनों से बनाये गये हैं। ठोस कूड़ा **(Solid waste)** एकत्रीकरण हेतु गाँव में कूड़ादान नहीं है। समुदाय द्वारा घर के पीछे, खुले स्थान पर या जलाकर कूड़े का निस्तारण किया जाता है। गांव में स्वच्छता का स्तर सामान्य है।

2.7 कृषि एवं पशुपालन -

ग्राम पंचायत में आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि है। यहाँ पर कुल **1800** हेक्टेयर कृषि भूमि पर खेती की जाती है। गाँव में गेहूँ, धान, सरसों, गन्ना, आलू एवं मक्का आदि फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ पर कुल **190** परिवारों के पास कृषि भूमि है। जो कृषि के साथ ही पशुपालन भी करते हैं। नदी किनारे की **200** हेक्टेयर भूमि पर **80** परिवार नदी किनारे कृषि करते हैं। जिसमें गन्ना, धान, गेहूँ, आदि फसल उगाई जाती है। फसलों का कीटों से बचाव करने हेतु बटाको, फटेरा, अल्ट्रारिजेन्ट,क्लोरोपैरीपैन आदि कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। फसल अच्छी हो इसके लिए रासायनिक खाद का प्रयोग भी करते हैं। यहाँ पर **200** परिवार पशुपालन करते हैं पशुओ में मुख्यतः गाय, भैंस और बकरी पालन किया जाता है।

2.8 वर्षा व अन्य जल संसाधनों का विवरण -

क्षेत्र में वर्षा का वार्षिक औसत **101** मिमी० है। अन्य जल संसाधनों में ग्राम में सिंचाई हेतु बोरवैल, घाघरा नदी का पानी, व पंप उपलब्ध है। ग्राम पंचायत में **30** ट्यूबवैल, **300** हैंडपंप उपलब्ध हैं, जिनके द्वारा गाँव में पानी पहुँच पाता है।

2.9 ग्राम पंचायत तक पहुँच एवं संचार के साधनों की उपलब्धता -

दिनकरपुर नेशनल हाइवे-**28** पर बसा हुआ है। पंचायत में सड़क मार्ग द्वारा यातायात व आवागमन के साधन उपलब्ध हैं। यहाँ तक पहुंचने के साधन ऑटो, बाईक, स्कूटर आदि हैं। इसके अलावा ग्राम संचार के साधनों में ग्राम में टेलीफोन तथा **800** मी० की दूरी पर सनाहा गांव में स्थित पोस्ट आफिस है ।

मूलभूत सुविधाओं में आंगनबाड़ी केन्द्र तथा प्राथमिक विद्यालय गांव में स्थित है तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गांव से **1.5** किमी० दूर तहसीनपुर में है। गांव से रेलवे स्टेशन की दूरी **6** किमी० है।

2.10 ग्राम पंचायत व उसके आसपास वन संसाधन व जैवविविधता का विवरण -

गाँव के आस पास आम, नीम, अशोक, पीपल, लीची, नींबू आदि वन सम्पदा पायी जाती है। यहाँ पर घाघरा नदी की जैवविवधिता बहुत समृद्ध है जिनमें मछलियां, डॉल्फिन, कछुए, साँप, मेंढ़क आदि जलीय जीव तथा प्रवासी पक्षी पाये जाते हैं।

2.11 समुदाय की नदी पर निर्भरता -

घाघरा नदी के तट पर स्थित दिनकरपुर गाँव धार्मिक व आर्थिक रूप से घाघरा नदी पर निर्भर है। ग्राम पंचायत में बहुसंख्य परिवार आजीविका हेतु कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर हैं। नदी पर यहाँ के लोगों की प्रत्यक्ष निर्भरता मुख्यत: पेयजल और सिंचाई के लिये है। कृषक वर्ग के बड़े भाग द्वारा सिंचाई हेतु नदी के जल का प्रयोग किया जाता है। लगभग सभी परिवारों की ईंधन हेतु लकड़ी और चारे हेतु घास के लिये वनों और कृषि भूमि पर निर्भरता है। दिनकरपुर में कुल **190** परिवार कृषि करते हैं। कृषि **1600** हेक्टेयर भूमि पर की जाती है जिसमें गेहूँ, धान, मक्का, गन्ना सरसों, आलू आदि फसलें उगाई जाती है। नदी किनारे की **200** हैक्टेयर कृषि भूमि पर **80** परिवार पालिज खेती करते हैं जिसमें गन्ना, गेहूँ, मक्का इत्यादि फसल उगाई जाती है। कुछ लोग आय अर्जित करने के लिए नदी से बालू, रेत निकालते हैं। अन्य लोग धार्मिक सांस्कृतिक कार्यों के लिये नदी के जल व तटों का उपयोग करते हैं तथा नदी जल के अप्रत्यक्ष लाभों को भी महत्वपूर्ण मानते हैं।

2.12 ग्राम पंचायत में चल रहे / पूर्व में संचालित जैवविविधता कार्यक्रम की जानकारी -

यहाँ पर जैवविविधता संरक्षण के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा संचालित कार्यक्रम के अतिरिक्त अन्य कोई भी योजना/कार्यक्रम नहीं चल रहा है।

2.13 ग्राम पंचायत में कार्य कर रही विभिन्न संस्थाओं/विभागों/कार्यक्रमों का विवरण

समुदाय आधारित संस्थाओं की संख्या एवं जो संस्थायें गठित हैं उनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है।

क्रम सं०	कार्यक्रम का नाम	गठित संस्था का नाम	कार्यक्रम का विवरण	लाभार्थियों की संख्या	टिप्पणी
1.	मनरेगा	-	सक्रिय	**160**	ग्राम पंचायत के अंतर्गत रोजगार सृजन
2.	समेकित बाल विकास योजना	आंगनबाड़ी	**1** आंगनबाड़ी केन्द्र	**32** बच्चे	बाल शिक्षा एवं स्वास्थ्य
3.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार कार्यक्रम	स्वंय सहायता समूह	**7** समूह गठित हैं	**72** सदस्य	

भाग -3 कार्यक्रम के मुख्य हितधारक

3.1 कार्यक्रम के मुख्य हितधारक (stakeholders)

जैवविविधता एवं गंगा संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हितधारकों की पहचान करने हेतु समुदाय के विभिन्न वर्गों के साथ बैठकें की गई। ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान, मल्लाह समुदाय, ग्रामीण समुदाय, पंचायत स्तर पर गठित समितियों के सदस्य, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों आदि के साथ कार्यक्रम के उद्देश्यों के बारे में चर्चा की गई व घाघरा नदी की स्वच्छता एवं जैवविविधता के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। चर्चा के दौरान कार्यक्रम से प्रभावित होने वाले निम्न वर्गों को हितधारक के रूप में चिन्हित किया गया-

- धार्मिक समूह
- पालिज की खेती करने वाले किसान
- विद्यालयों के छात्र/छात्राएं
- ग्राम पंचायत के चयनित सदस्य
- गंगा प्रहरी
- महिलायें एवं किशोरियां
- स्वयं सहायता समूह, आंगनबाडी कार्यकर्ता, ग्राम स्तरीय समिति
- विभिन्न विभाग एवं कार्यक्रम के अधिकारी कर्मचारी गण- स्वच्छ भारत मिशन, राज्य आजीविका मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, खण्ड विकास अधिकारी, वन विभाग, उद्यान विभाग, गैर सरकारी संस्थायें ।
- केन्द्रीय मंत्रालय - जलशक्ति मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, अन्य मंत्रालय आदि।

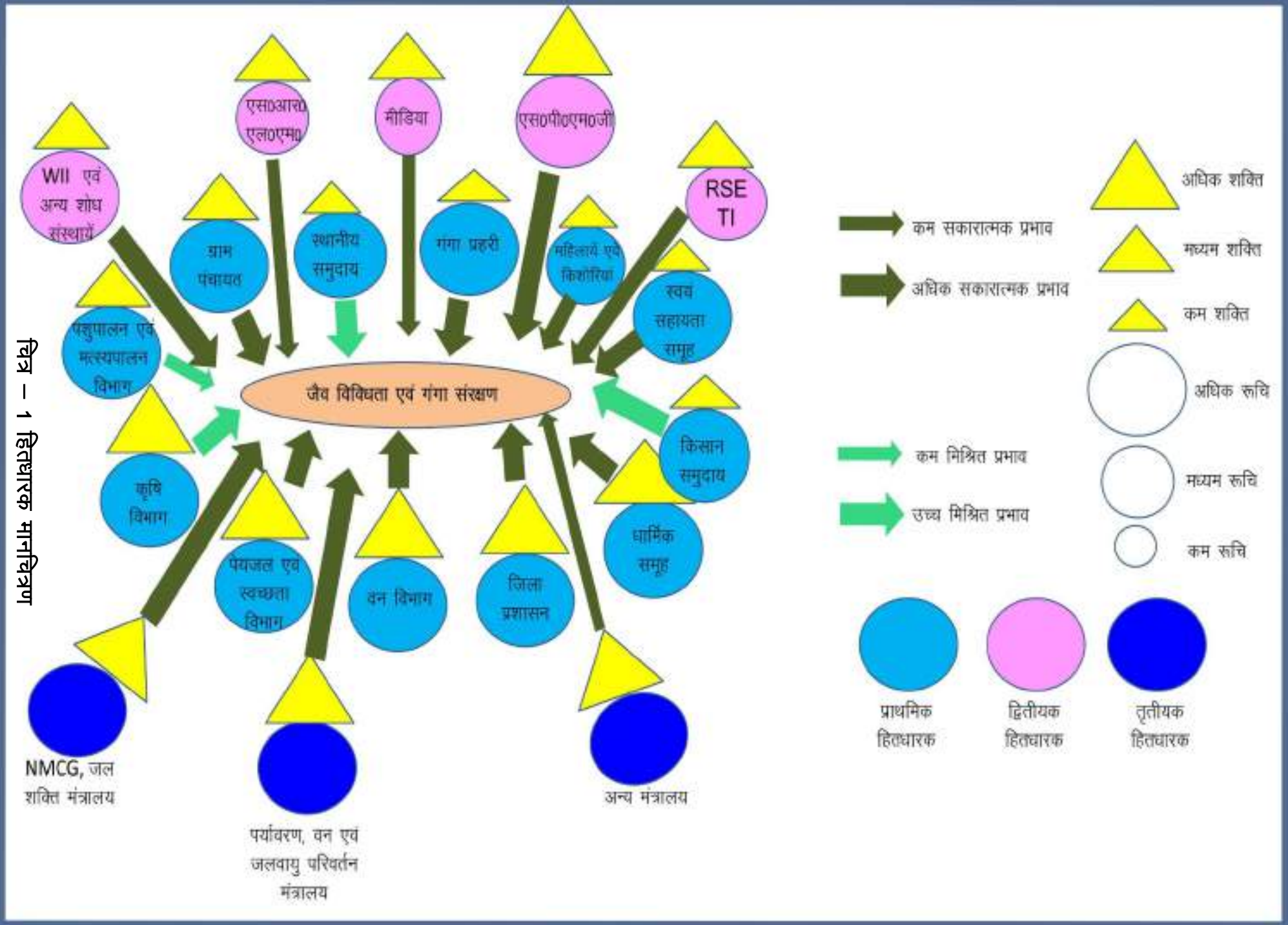

चित्र – 1 हितधारक मानचित्रण

भाग -4 समस्या विश्लेषण

4.1 समस्या विश्लेषण-

ग्राम पंचायत दिनकरपुर के निवासियों की नदी पर निर्भरता मुख्यरूप से पेयजल और सिंचाई के लिये है। कृषि में सिंचाई के लिये नदी के जल का काफी मात्रा में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर **1600** हेक्टेयर कृषि भूमि है। आजीविका का प्रमुख स्रोत होने के कारण समुदाय कृषि उत्पादकता पर निर्भर है जिसके लिये खेतों में विभिन्न रासायनिक खादों व बटाको, फटेरा, अल्ट्रारेजेन्ट, कोलेरोपैरीपेन जैसे कीटनाशक दवाईयों का प्रयोग किया जाता है।

ग्राम पंचायत में कूड़ा एकत्रीकरण, प्रबन्धन एवं निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं है जिस कारण ग्राम पंचायत के लोग सड़क के किनारे या खेतों में गड्ढा करके कूड़े का निस्तारण करते हैं। खुले में निस्तारित कूड़ा हवा व वर्षा के साथ नदी के पानी में मिल जाता है। नदी के बिल्कुल किनारे बसे होने के बाद भी ग्रामीण लोगों को वहाँ पायी जाने वाली जलीय जीवों की प्रजाति के विषय में अधिक जानकारी नहीं है। इसका मुख्य कारण जागरूकता की कमी है।

नदी की स्वच्छता के प्रति भी लोग जागरूक नहीं हैं और धार्मिक व पूजा सामग्री को नदी में ही प्रवाहित किया जाता है।

समस्या वृक्ष

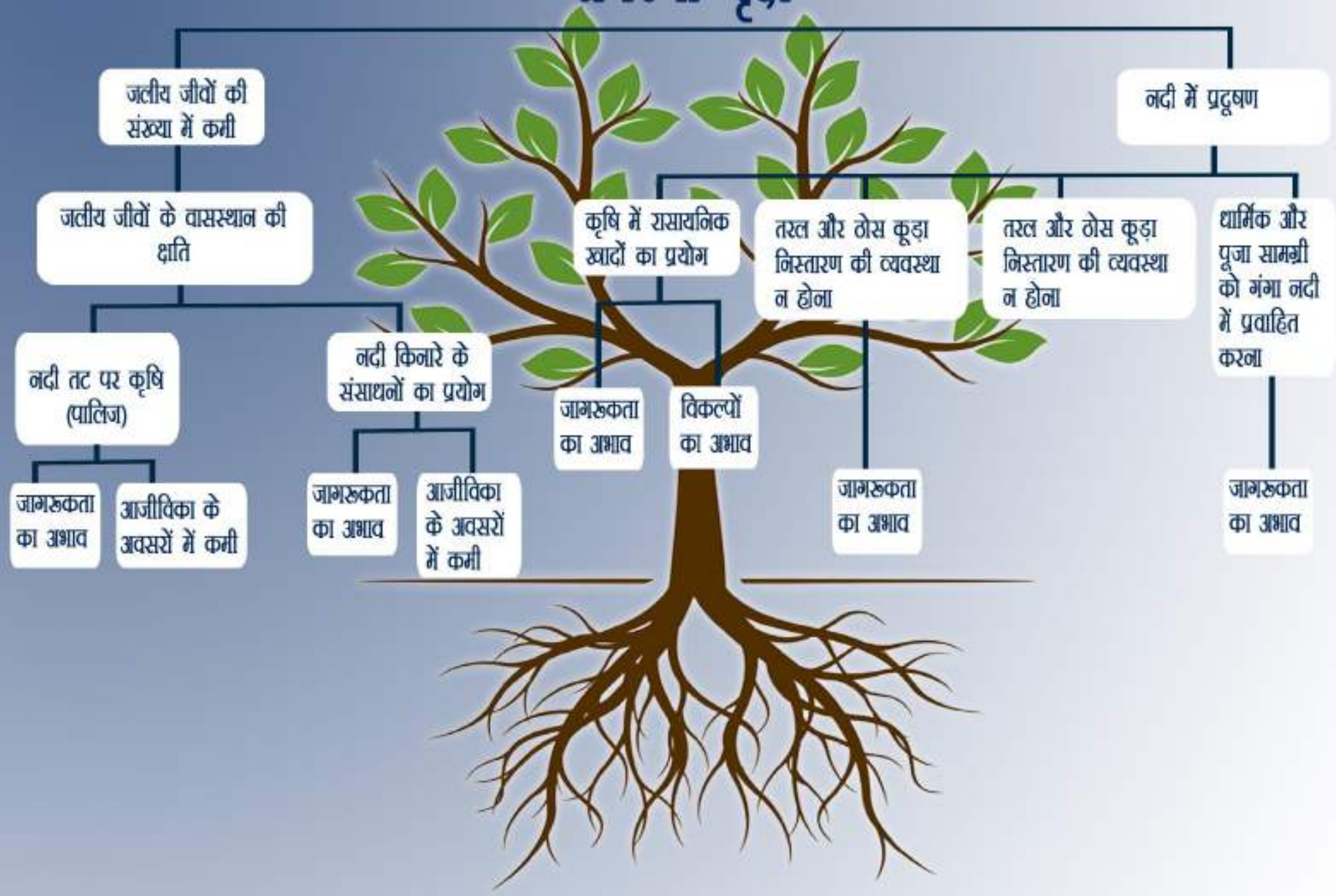
जलीय जीवों की संख्या में कमी
जलीय जीवों के वासस्थान की क्षति
नदी तट पर कृषि (पालिज)
जागरूकता का अभाव
आजीविका के अवसरों में कमी
नदी किनारे के संसाधनों का प्रयोग
जागरूकता का अभाव
आजीविका के अवसरों में कमी
नदी में प्रदूषण
कृषि में रसायनिक खादों का प्रयोग
जागरूकता का अभाव
विकल्पों का अभाव
तरल और ठोस कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था न होना
जागरूकता का अभाव
तरल और ठोस कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था न होना
धार्मिक और पूजा सामग्री को गंगा नदी में प्रवाहित करना
जागरूकता का अभाव

भाग – 5 नियोजन का उद्देश्य

सूक्ष्म नियोजन का मुख्य उद्देश्य नदी की जैवविविधता के संरक्षण एवं नदी की स्वच्छता हेतु समुदाय को जागरूक करना एवं संरक्षण कार्यों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है, जिससे संरक्षण कार्यों की सततता बनी रहे ।

दीर्घकालीन उद्देश्य –

- नदी की अविरलता एवं निर्मलता को बनाये रखने के लिये जलीय जीवों का संरक्षण करना।

अल्पकालीन उद्देश्य –

- नदी की जैवविविधता के संरक्षण हेतु समुदाय को जागरूक एवं संवेदनशील बनाना ताकि वे जैवविविधता संरक्षण के कार्य में भागीदारी कर सकें।
- समुदाय को जैविक और प्राकृतिक कृषि को अपनाने के लिये प्रेरित करना।

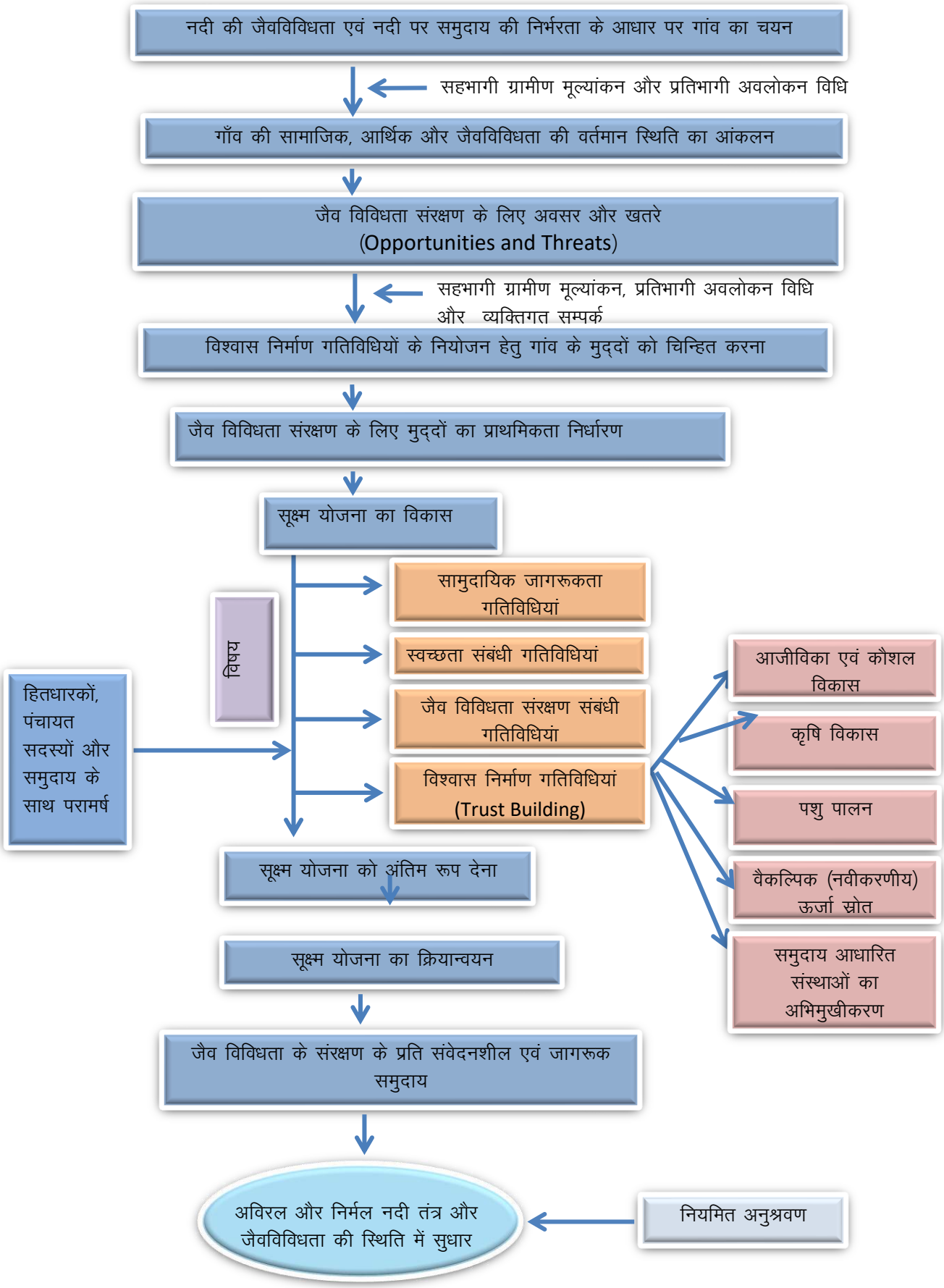

चित्र – 2 नियोजन की प्रक्रिया

भाग - 6 प्रस्तावित गतिविधियां, रणनीति तथा समन्वयन

6.1 सामुदायिक जागरूकता संबंधी गतिविधियाँ-

ग्राम पंचायत दिनकरपुर मुख्य रूप से सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति के लिये नदी पर निर्भर है। यहां पर नदी किनारे 200 हेक्टेयर भूमि पर खेती की जाती है।

- पारिस्थितिकीय तंत्र में जलीय जीवों के भूमिका और महत्व के बारे में समुदाय को जानकारी प्रदान करना।
- रासायनिक खादों के मानव एवं जलीय जीवों पर होने वाले प्रभावों पर बैठकों एवं कार्यशालाओं के माध्यम से चर्चा।
- जैविक खेती के लाभ पर जागरूकता।
- जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिये सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न परियोजनाओं की जानकारी संबंधित विभाग के माध्यम से समुदाय तक पहुँचाना।
- पारम्परिक फसलों जैसे मिलेट्स के संबंध में जागरूकता गोष्ठियां।

6.2 समुदाय आधारित संस्थाओं का अभिमुखीकरण -

ग्राम दिनकरपुर में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत **7** स्वंय सहायता समूहों का गठन किया गया है। जिससे **72** सदस्य जुड़े हैं। इन महिलाओं को जैव विविधता संरक्षण कार्यों से जोड़ने के लिये विकासखंड अधिकारी के माध्यम से प्रयास किया जायेगा।

साथ ही गंगा प्रहरियों के कैडर को सुदृढ़ और प्रशिक्षित कर जैवविविधता संबंधी जागरूकता एवं बचाव कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिये सक्रिय समूह तैयार किया जायेगा।

6.3 आजीविका एवं कौशल विकास संबंधी गतिविधियाँ -

आजीविका और कौशल विकास प्रशिक्षण किसी भी कार्यक्रम में समुदाय को जोड़ने में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाते हैं। ये कार्यक्रम के बारे में जानकारी और उससे जुड़ने के लिये एक मंच प्रदान करते हैं। जैवविविधता संरक्षण हेतु लोगों को खासकर युवकों और महिलाओं को जोड़ने हेतु उन्हें कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़ा जा सकता है। इसके लिये निम्न गतिविधियां की जा सकती हैं -

1. बैठकों कार्यशालाओं के माध्यम से ग्राम स्तर पर सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न कौशल विकास योजनाओं की जानकारी प्रदान करना।
2. ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से महिलाओं और युवाओं के लिये प्रशिक्षणों का आयोजन करना।
3. आजीविका एवं कौशल विकास प्रशिक्षणों का आयोजन।
4. प्रशिक्षित सदस्यों को आजीविका संबंधी गतिविधियों को शुरू करने के लिये प्रेरित करना।
5. समुदाय द्वारा बनाये गये उत्पादों के लिये बाजार उपलब्ध कराना जिसके लिये उन्हें अर्थगंगा के अंतर्गत जलज परियोजना से जोड़ा जायेगा।

6.4 स्वच्छता संबंधी गतिविधियाँ -

दिनकरपुर में स्वच्छता की स्थिति मध्यम है, ग्राम पंचायत में कूड़ा निपटान हेतु कोई व्यवस्था नहीं है । यहां पर स्वच्छता संबंधी निम्न गतिविधियां प्रस्तावित हैं।

1. बैठकों, अभियान व दीवार लेखन आदि के माध्यम से स्वच्छता, एवं प्लास्टिक के कम उपयोग के प्रति जागरूक करना।
2. जैविक एवं अजैविक कूड़े एवं उसके निपटान के बारे में समुदाय को जागरूक करना।
3. नदी में धार्मिक सामग्री, कपड़े आदि न प्रवाहित करने के लिये धार्मिक नेताओं के माध्यम से कार्यक्रमों का संचालन।
4. कूड़ा प्रबन्धन के लिये ग्राम पंचायत के माध्यम से संबंधित विभाग को प्रस्ताव प्रेषित करना।

6.5 वैकल्पिक ऊर्जा संबंधी गतिविधियां -

दिनकरपुर ग्राम पंचायत में **240** परिवारों के पास खाना पकाने के लिये एल०पी०जी गैस है। बाकी परिवार खाना पकाने और अन्य घरेलू कार्यों के लिये पारम्परिक ईंधन का प्रयोग करते हैं जिससे जंगलों व खेतों की वनस्पति पर ईंधन हेतु निर्भरता बनी हुई है। इन परिवारों को वैकल्पिक ईंधन के प्रयोग हेतु प्रेरित किया जायेगा। ग्राम पंचायत में पहले से ही **5** सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं। जिला स्तर पर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, उज्जवला योजना एवं स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से एल०पी०जी० विहीन परिवारों को एल०पी०जी, सोलर कुकर तथा बायोगैस लगाने के लिये प्रेरित किया जायेगा।

6.6 कृषि विकास संबंधी गतिविधियां -

ग्राम पंचायत की **60** प्रतिशत से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। रासायनिक खादों एवं नदी तट पर कृषि के दौरान जलीय जीवों को होने वाली हानि के प्रति समुदाय को जागरूक किया जाना आवश्यक है।

1. रसायनिक खादों के प्रयोग से स्वास्थ्य एवं जैवविविधता पर होने वाले दुष्प्रभावों पर जागरूकता।
2. जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिये किसानों के साथ विभाग के माध्यम से कार्यशाला तथा प्रशिक्षणों का आयोजन।
3. जैविक कृषि से संबंधित योजनाओं की जानकारी हेतु कृषि विभाग के साथ सामंजस्य स्थापित करना।
4. किसानों को जैविक खाद तथा कीटनाशक बनाने के तरीकों एवं इनके महत्व के बारे में जानकारी देना।

6.7 पशुपालन विकास संबंधी गतिविधियां -

दिनकरपुर में लगभग **200** परिवारों के पास पशु हैं जिनके लिये भूसा व चरी के साथ ही खेतों व जंगलों से चारे की व्यवस्था की जाती है। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिये निम्न गतिविधियां प्रस्तावित हैं।

1. विभागीय सहयोग (पशुपालन विभाग, बायफ) से अच्छी नस्ल के दुधारू पशु, दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिये चारे के उत्पादन व पौष्टिक चारे के विषय में जानकारी दी जायेगी।
2. सरकार द्वारा पशुपालन को बढ़ावा देने के लिये चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी जायेगी।
3. पशुपालकों को अपने खेतों में चाराघास और चारापत्ती वाले पेड़ लगाने के लिये प्रेरित किया जायेगा। ताकि नदी किनारे की वनस्पति पर दबाव कम हो सके।
4. पशुओं की उन्नत नस्ल, टीकाकरण एवं बिमारियों से रोकथाम पर जानकारी के लिये विभाग के माध्यम से पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन।

6.8 जैवविविधता संरक्षण संबंधी गतिविधियां-

जैव विविधता संरक्षण में उपरोक्त लिखित सभी गतिविधियां योगदान देंगी। यहाँ पर नदी प्रदूषण का मुख्य स्रोत कृषि में प्रयुक्त रासायन एवं पूजा और धार्मिक सामग्री है।
जैव विविधता संरक्षण के लिये निम्न गतिविधियां की जायेंगी -

1. रासायनिक खादों के प्रयोग को कम करने के लिये जैविक खाद एवं कीटनाशक बनाने का प्रशिक्षण दिया जायेगा।
2. परम्परागत एवं कम पानी में उगने वाली फसलों के बारे में चर्चा एवं गोष्ठियों का आयोजन।
3. गंगा प्रहरियों तथा समुदाय अन्य लोगों को घायल जीव जंतुओं की सूचना देने के संबंध के लिये प्रशिक्षित करना।
4. पॉलिज खेती करने वाले परिवारों के लिये वैकल्पिक आजीविका संबंधी प्रशिक्षणों का आयोजन करना।
5. जनसमुदाय को जलीय जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिये जागरूकता बैठकों, कार्यशालाओं आदि का आयोजन करना।

6.9 रेखीय विभागों का विवरण एवं समन्वयन-

उपरोक्त योजनाओं एवं गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों से तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग की आवश्यकता होगी। कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु चिन्हित किये गये विभागों का विवरण निम्नवत है-

क्रम सं०	गतिविधि	विभाग
1.	ग्रामीण विकास, स्वच्छता संबंधी योजनाओं की जानकारी एवं निर्माण करना।	ग्रामीण विकास विभाग, स्वच्छ भारत अभियान
2.	कौशल विकास एवं आजीविका संबंधी प्रशिक्षण	ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम, **WISE, HESCO** आदि

3.	उन्नत एवं जैविक कृषि, पशुपालन, बायो गैस, बायो कम्पोस्ट निर्माण	कृषि एवं पशुपालन विभाग, बाएफ
4.	वैकल्पिक ऊर्जा	उ०प्र० नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, उज्जवला योजना आदि

उपरोक्त विभागों से समन्वयन स्थापित कर समुदाय को विभिन्न विभागों से संबंधित योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास किया जायेगा।

भाग – 7 व्यवहार्यता (feasibility) विश्लेषण

7.1 सहमत गतिविधियों का व्यवहार्यता (feasibility) विश्लेषण

योजना के अंतर्गत प्रस्तावित की गई गतिविधियों का सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य होना आवश्यक है तभी उसके क्रियान्वयन से समुदाय लाभान्वित हो सकेगा।

क्रम सं०	प्रस्तावित गतिविधि	व्यवहार्यता
1-	पारिस्थितिकीय तंत्र में जलीय जीवों के भूमिका और महत्व के बारे में समुदाय को जानकारी प्रदान करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
2	रासायनिक खादों के मानव एवं जलीय जीवों पर होने वाले प्रभावों पर बैठकों एवं कार्यशालाओं के माध्यम से चर्चा।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
3	जैविक खेती के लाभ पर जागरूकता।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य ।
4	जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिये सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न परियोजनाओं की जानकारी संबंधित विभाग के माध्यम से समुदाय तक पहुँचाना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
5	पारम्परिक फसलों जैसे मिलेट्स के संबंध में जागरूकता गोष्ठियां।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
6	बैठकों कार्यशालाओं के माध्यम से ग्राम स्तर पर सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न कौशल विकास योजनाओं की जानकारी प्रदान करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
7	ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से महिलाओं और युवाओं के लिये प्रशिक्षणों का आयोजन करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
8	आजीविका एवं कौशल विकास प्रशिक्षणों का आयोजन।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
9	प्रशिक्षित सदस्यों को आजीविका संबंधी गतिविधियों को शुरू करने के लिये प्रेरित करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य ।
10	समुदाय द्वारा बनाये गये उत्पादों के लिये बाजार उपलब्ध कराना जिसके लिये उन्हें अर्थगंगा के अंतर्गत जलज परियोजना से जोड़ा जायेगा।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य ।
11	बैठकों, अभियान व दीवार लेखन आदि के माध्यम से स्वच्छता, एवं प्लास्टिक के कम उपयोग के प्रति जागरूक करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
12	जैविक एवं अजैविक कूड़े एवं उसके निपटान के बारे में समुदाय को जागरूक करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
13	नदी में धार्मिक सामग्री, कपड़े आदि न प्रवाहित करने के लिये धार्मिक नेताओं के माध्यम से कार्यक्रमों का संचालन।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
14	कूड़ा प्रबन्धन के लिये ग्राम पंचायत के माध्यम से संबंधित विभाग को प्रस्ताव प्रेषित करना।	विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
15	रसायनिक खादों के प्रयोग से स्वास्थ्य एवं जैवविविधता पर होने वाले दुष्प्रभावों पर जागरूकता।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
16	जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिये किसानों के साथ विभाग के माध्यम से कार्यशाला तथा प्रशिक्षणों का आयोजन।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।

17	जैविक कृषि से संबंधित योजनाओं की जानकारी हेतु कृषि विभाग के साथ सामंजस्य स्थापित करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य। विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
18	किसानों को जैविक खाद तथा कीटनाशक बनाने के तरीकों एवं इनके महत्व के बारे में जानकारी देना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
19	विभागीय सहयोग (पशुपालन विभाग, बायफ) से अच्छी नस्ल के दुधारू पशु, दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिये चारे के उत्पादन व पौष्टिक चारे के विषय में जानकारी दी जायेगी।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य। विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
20	सरकार द्वारा पशुपालन को बढ़ावा देने के लिये चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी जायेगी।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य। विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
21	पशुपालकों को अपने खेतों में चाराघास और चारापत्ती वाले पेड़ लगाने के लिये प्रेरित किया जायेगा। ताकि नदी किनारे की वनस्पति पर दबाव कम हो सके।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
22	परम्परागत एवं कम पानी में उगने वाली फसलों के बारे में चर्चा एवं गोष्ठियों का आयोजन।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
23	गंगा प्रहरियों तथा समुदाय अन्य लोगों को घायल जीव जंतुओं की सूचना देने के संबंध के लिये प्रशिक्षित करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
24	पॉलिज खेती करने वाले परिवारों के लिये वैकल्पिक आजीविका संबंधी प्रशिक्षणों का आयोजन करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
25	जनसमुदाय को जलीय जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिये जागरूकता बैठकों, कार्यशालाओं आदि का आयोजन करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
26	परम्परागत एवं कम पानी में उगने वाली फसलों के बारे में चर्चा एवं गोष्ठियों का आयोजन।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।

7.2 वित्तीय आवश्यकता एवं बजट-

ग्राम पंचायत दिनकरपुर में क्रियान्वित की जाने वाली समस्त गतिविधियों का क्रियान्वयन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के आर्थिक सहयोग से किया जायेगा। तकनीकी सहयोग हेतु जिला स्तरीय विभागों के साथ समन्वयन किया जायेगा। जहां तक संभव हो संबंधित विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को समुदाय तक पहुँचाने का प्रयास किया जायेगा जिससे कार्यक्रम क्रियान्वयन में आर्थिक सहयोग प्राप्त हो सके।

बजट दिनकरपुर				
क्रम सं०	**गतिविधि**	**संख्या**	**दर**	**कुल राशि**
1	**सामुदायिक जागरूकता गतिविधियां**			
i	जैविक खेती के लाभ पर जागरूकता।	**10**	**10000**	**100000**
ii	जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिये सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न परियोजनाओं की जानकारी संबंधित विभाग के माध्यम से समुदाय तक पहुंचाना।	**2**	**25000**	**50000**

iii	पारम्परिक फसलों जैसे मिलेट्स के संबंध में जागरूकता गोष्ठियां।	**5**	**15000**	**75000**
iv	दीवार लेखन	**50**	**500**	**25000**
v	कूड़े के प्रबन्धन हेतु जागरूकता कार्यशाला और अभियान का आयोजन	**10**	**5000**	**50000**
				300000
2	**कार्यशाला एवं प्रशिक्षण**			
i	ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से महिलाओं और युवाओं के लिये कार्यशाला का आयोजन करना।	**2**	**50000**	**100000**
ii	आजीविका एवं कौशल विकास प्रशिक्षणों का आयोजन।	**3**	**150000**	**450000**
iii	प्रशिक्षित लाभार्थियों को अपना व्यवसाय स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं (सब्सिडी/लोन) की जानकारी देने हेतु कार्यशाला का आयोजन	**2**	**10000**	**20000**
iv	गंगा प्रहरियों के लिये जागरूकता, सर्वेक्षण, बचाव एवं पुनर्वास संबंधी प्रशिक्षणों का आयोजन।	**2**	**50000**	**100000**
v	जैविक खाद और कीटनाशक बनाने का प्रशिक्षण।	**1**	**100000**	**100000**
vi	पशुओं की उन्नत नस्ल एवं बिमारियों पर जानकारी के लिये पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन	2	**10000**	**20000**
				790000
3	**प्रदर्शन एवं निर्माण**			
i	प्रदर्शन **(Demonstration)** वर्मी कम्पोस्ट पिट का निर्माण	**2**	**20000**	**40000**
ii	त्योहारों एवं मेलों के बाद स्वच्छता अभियान का आयोजन	10	**5000**	**50000**
iii	नदी किनारे वृक्षारोपण			**20000**
iv	चारा घास और चारापत्ती वाले वृक्षों का रोपण			**50000**
				160000
4	**मानवशक्ति एवं यात्रा व्यय**			
i	फील्ड असिस्टेंट (**5** वर्ष)	1	**10000**	**600000**
ii	यात्रा व्यय			**150000**
				750000
			कुल **(1+2+3+4)**	**2000000**

7.3 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन-

उपरोक्त कार्ययोजना का समय-समय पर अनुश्रवण कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जायेगा। कार्यक्रम के अनुश्रवण से हमें कार्यक्रम क्रियान्वयन की प्रगति व उसमें आने वाली बाधाओं की जानकारी प्राप्त होगी एवं मूल्यांकन कर कार्ययोजना के अनुरूप क्रियान्वयन प्रक्रिया में परिवर्तन किया जा सकता है। ग्राम पंचायत में गठित समुदाय आधारित संस्थाओं व गंगा प्रहरियों के माध्यम से कार्यक्रम का अनुश्रवण किया जायेगा। ग्राम पंचायत स्तर पर रखे जाने वाले रिकार्ड्स का भी कार्यक्रम के अनुश्रवण में सहायक होंगे।

7.4 पारस्परिक संकल्प एवं उत्तरदायित्व-

कार्यक्रम क्रियान्वयन में समुदाय एवं एन०एम०सी०जी- भारतीय वन्यजीव संस्थान की टीम के उत्तरदायित्व निम्नवत होंगें -

एन०एम०सी०जी- भारतीय वन्य जीव संस्थान

- जागरूकता गतिविधियों, कार्यशाला एवं प्रशिक्षण हेतु बजट की व्यवस्था करना।
- गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
- जलीय जीवों के बचाव व पुनर्वास हेतु आवश्यक जानकारी प्रदान करना एवं समुदाय को जागरुक करना।
- आजीविका एवं कौशल विकास संबंधी प्रशिक्षणों का आयोजन करना।
- योजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों से समन्वयन स्थापित करना।

समुदाय

- विभिन्न गतिविधियों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षणों में भागीदारी करना।
- सहमत गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु स्थान प्रदान करना।
- संकटग्रस्त जलीय जीवों की जानकारी संबंधित विभाग/कार्यकर्ताओं को देना।
- आजीविका एवं कौशल संबंधी प्रशिक्षणों में सक्रिय भागीदारी करना।
- योजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों को सहयोग करना।
- समय समय पर स्वच्छता संबंधी गतिविधियों का क्रियान्वयन।
- जागरूकता संबंधी गतिविधियों का आयोजन

7.5 विवाद का निपटारा-

गाँव में पंचायत स्तर पर विवाद का निपटारा आपसी सहमति से किया जायेगा।

7.6 रिकार्ड्स का रखरखाव-

रिकार्ड्स के रखरखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत या उनके द्वारा चयनित प्रतिनिधि की होगी जिसके लिये ग्राम स्तर पर चयनित गंगा प्रहरियों का सहयोग लिया जा सकता है।

- नदी की स्वच्छता एवं वृक्षारोपण सम्बन्धी गतिविधियों हेतु रजिस्टर
- विभिन्न गतिविधियों के फोटोग्राफ
- क्रियान्वित गतिविधियो की रिपोर्ट
- प्रशिक्षण में शामिल प्रशिक्षणार्थियों का विवरण
- गंगा प्रहरी द्वारा की जा रही गतिविधियों का विवरण
- ग्राम स्तर पर आयोजित गतिविधियों के दस्तावेज

7.7 सफलता के सूचक-

1. गांव में जलीय जीवों के संरक्षण हेतु गंगा प्रहरियों का एक संवर्ग **(cadre)** तैयार हो चुका है तथा स्थानीय समुदायों एवं अन्य हितधारकों को संवेदीकृत एवं प्रशिक्षित किया जा चुका है।
2. समुदाय जैविक कृषि कार्यक्रमों को अपनाने हेतु पहल कर रहा है।
3. गंगा नदी पर आश्रित समुदाय हेतु कौशल व क्षमता विकास प्रशिक्षण किये जा चुके हैं।
4. समुदाय वैकल्पिक आजीविका गतिविधियों को अपना रहा है।
5. ग्राम पंचायत की स्वच्छता की स्थिति में सुधार हुआ है।
6. समुदाय जैवविविधता संबंधी गतिविधियों के प्रति जागरूक है एवं इसके लिये स्वयं गतिविधियों का आयोजन कर रहा है।
7. आजीविका अवसरों में वृद्धि।
8. गंगा प्रहरियों के द्वारा लगातार समुदाय को गंगा के जलीय जीवों के महत्व तथा संरक्षण के बारे में जागरुक करने का कार्य किया जा रहा है।

अनुलग्नक - 1
समझौता ज्ञापन

नमामि गंगे

भारतीय वन्यजीव संस्थान
Wildlife Institute of India

समझौता ज्ञापन

भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिषन ने सभी भागीदारों को एक साथ लाकर गंगा नदी की जैवविविधता को बहाल करने के लिए एक दृष्टिकोण विकसित किया है। भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा लागू की जाने वाली परियोजना "जैवविविधता और गंगा संरक्षण" इस संरक्षण की नीति का एक अभिन्न हिस्सा है। इस परियोजना का उद्देश्य स्थानीय समुदायों के सहयोग से, गंगा और उसकी सहायक नदियों की जलीय प्रजातियों के लिए बहाली योजना विकसित करना है, जिसके लिए शामिल दलों द्वारा समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जा रहा है।

समझौता ज्ञापन के पक्षधारी

इस समझौता ज्ञापन पर ....नेहा शर्मा.... ग्राम पंचायत, दिलकरपुर जिला अयोध्या राज्य उ.प्र. और भारतीय वन्यजीव संस्थान के बीच 16 / 10 / 2022 दिन पर हस्ताक्षर किए गए है।

समझौता ज्ञापन के विषय

यह दस्तावेज गंगा व उसकी सहायक नदियों की जलीय प्रजातियों की बहाली के लिए शामिल दलों द्वारा परस्पर सहयोग के लिए प्रतिबद्धता तथा निम्न उद्देश्यों को सामूहिक रुप से प्राप्त करने की दिशा में प्रयास को दर्शाता है:

- स्थानीय समुदायों के बीच, गंगा व उसकी सहायक नदियों के प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी स्वास्थ्य पर नजर रखने के लिए, गंगा प्रहरी कैडर का सृजन।
- घायल एवं बीमार जलीय जीव–जंतुओं के बचाव तथा पुनर्वास के लिए स्थानीय समुदायों द्वारा सक्रिय भागीदारी।
- नदी पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का दीर्घकालिक उपयोग।
- सम्मिलित पंचायत के निवासियों के लिए स्थान–विशेष आधारित दीर्घकालिक आजीविका नीतियों की पहचान और विकास का प्रयास।

सभी पक्ष इस समझौता ज्ञापन का सम्मान करने के लिए सहमति प्रदान करते हैं।

समझौते के लिए पक्षधारियों के हस्ताक्षर

भारतीय वन्यजीव संस्थान की ओर से

हस्ताक्षर:

नाम: Dr. Ruchi Badola
Nodal Officer
Wildlife Institute of India
ational Mission for Clean Ganga
Dehradun, Uttarakhand

पद:

दिनांक:

पंचायत की ओर से

हस्ताक्षर: नेहा शर्मा

नाम: नेहा शर्मा

पद: ग्राम प्रधान

✽ नेहा शर्मा 'प्रधान' ✽
ग्राम पंचायत–दिलकरपुर
वि० ख० सोहावल, जिला अयोध्या

दिनांक: 16/10/2022

अनुलग्नक - 2
सामाजिक मानचित्र ग्राम पंचायत दिनकरपुर

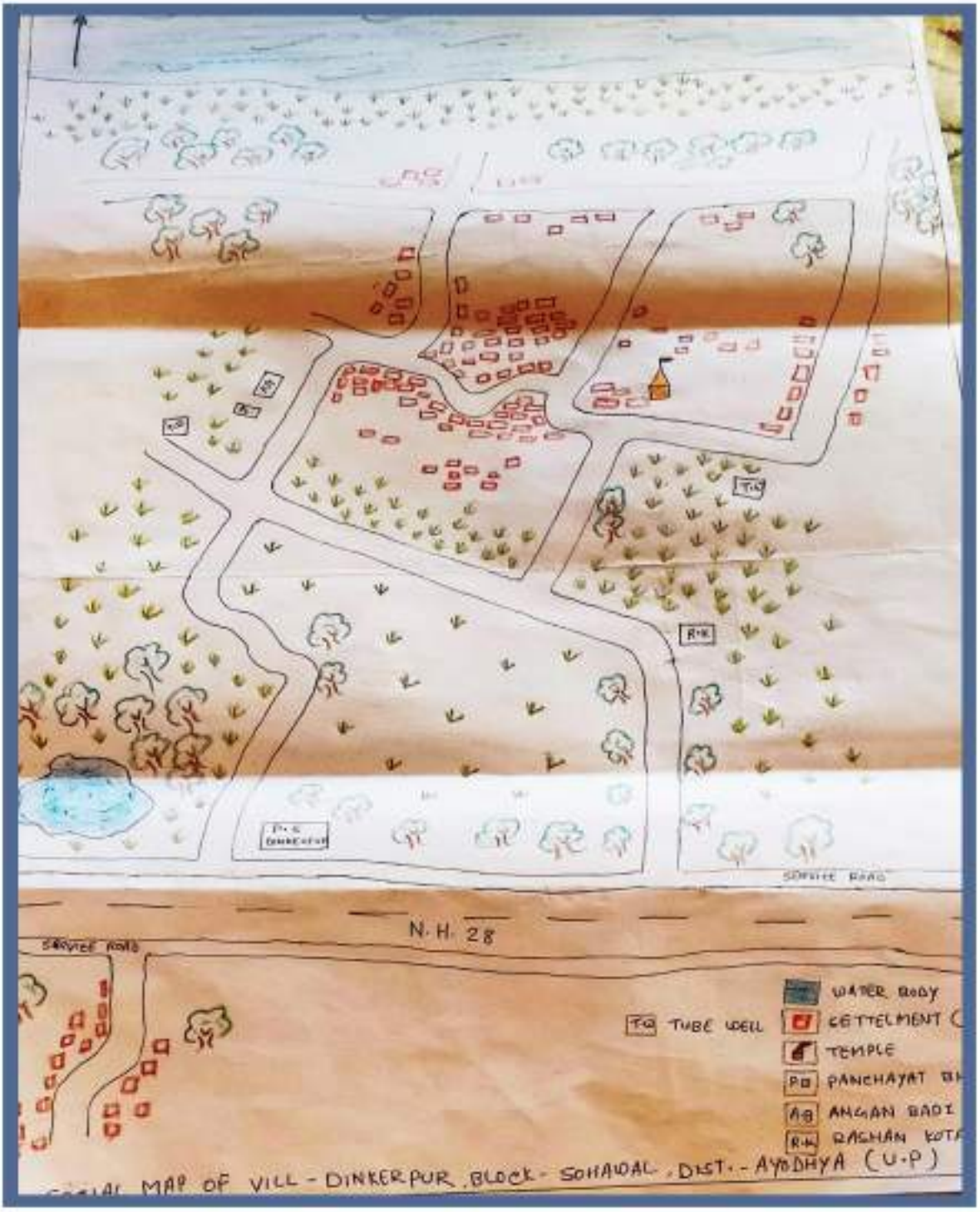

अनुलग्नक - 3
सूक्ष्म नियोजन हेतु बैठक में उपस्थित समुदाय की सूची

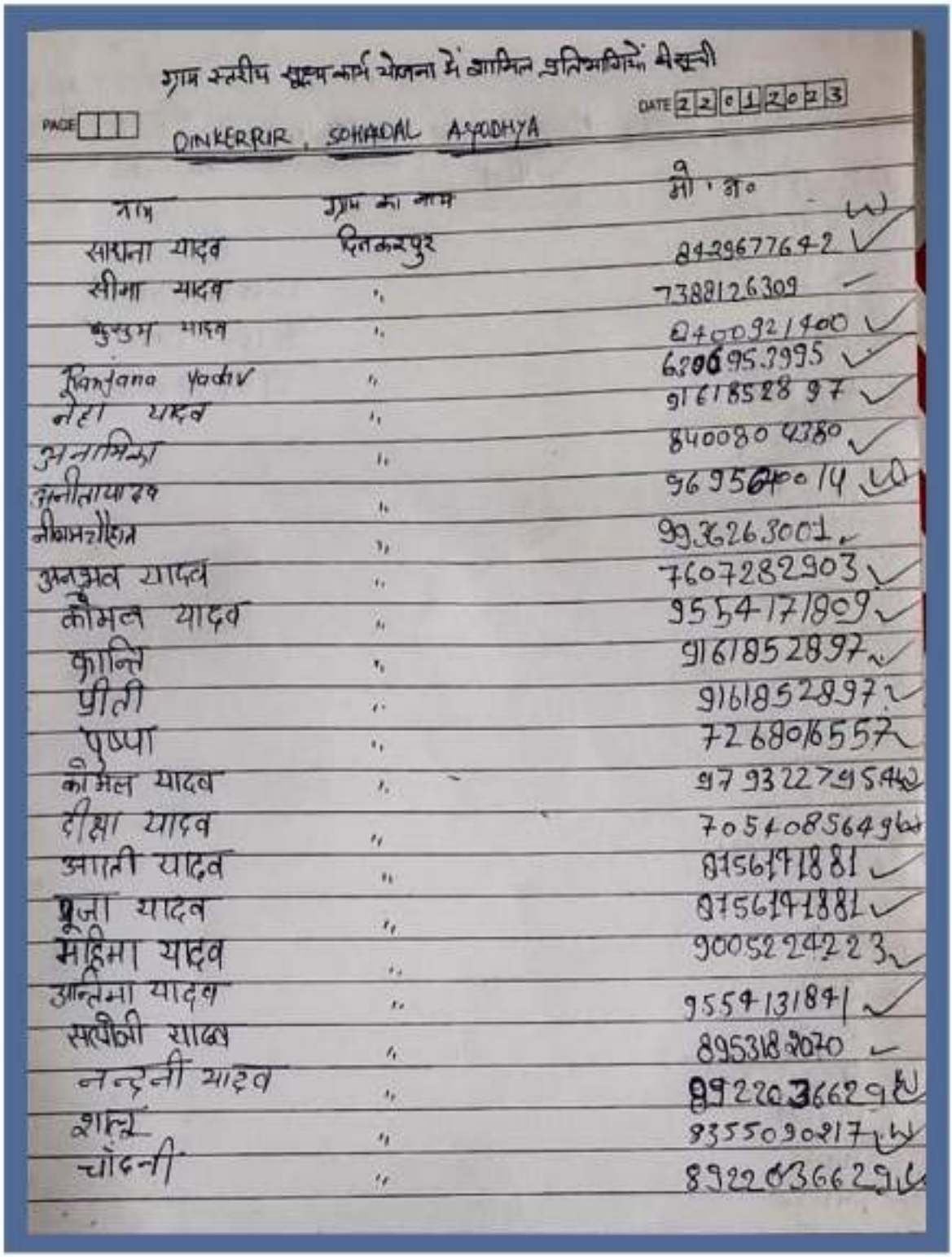

ग्राम स्तरीय सूक्ष्म कार्य योजना में शामिल प्रतिभागियों की सूची

PAGE [ ] DINKERRUR, SOHAWAL AYODHYA DATE 22/12/2023

नाम	ग्राम का नाम	मो० न०
साधना यादव	दिनकरपुर	8429677642
सीमा यादव	"	7388126309
कुसुम यादव	"	8400921400
Kiranana Yadav	"	6206953995
नेहा यादव	"	9161852897
अनामिका	"	8400804380
अनीता यादव	"	9695640014
नीलम चौहान	"	9936263001
अनुभव यादव	"	7607282903
कोमल यादव	"	9554171809
कान्ति	"	9161852897
प्रीती	"	9161852897
पुष्पा	"	7268016557
कोमल यादव	"	9793227954
दीक्षा यादव	"	7054085649
आरती यादव	"	8756171881
पूजा यादव	"	8756171881
महिमा यादव	"	9005224223
अन्तिमा यादव	"	9554131841
सपोनी यादव	"	8953182070
नन्दनी यादव	"	8922036629
शालू	"	8355090217
चांदनी	"	8922036629

फोटो गैलरी

NMCG

National Mission for Clean Ganga
Ministry of Jal Shakti

GACMC

Ganga Aqualife Conservation
Monitoring Centre

Wildlife Institute of India

Post Box #18, Chandrabani
Dehradun - 248001 Uttarakhand,
India t.: +91135 2640114-15,
+91135 2646100
f.: +91135 2640117

नमामि गंगे

भारतीय वन्यजीव संस्थान
Wildlife Institute of India

www.wii.gov.in/national_mission _for_clean_ganga